

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

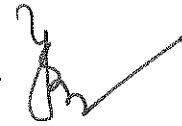
17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -
या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय
देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की
सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक
टिप्पणी की जाये)।

*Recommended for
approval.*

तिथि- 24.5.2017

स्थान-

हस्ताक्षर



नाम दाईपदसामे० शेषकुमार
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
सरकारी कानून अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ ।